न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2017

इन्द्रवीर सिंह पुत्र हरमोहिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एस बी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

1. गुरदेव सिंह पुत्र पालसिंह जाति बावरी निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (पोस्ट आफिस धनूर)
2. सुरजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर पोस्ट ऑफिस धनूर जिला श्रीगगानगर।
3. नारायण पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 9 एस.बीतहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 19.01.2017

उपस्थितिः—
श्री शिवप्रकाश कालडा , अभिभाषक अपीलांट
श्री जितेन्द्र पराशर, अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक :— 17.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर चक 9 एस.बी. के मु.नं. 81 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 व मु.नं. 61 के कि.नं. 21 की पश्चिमी डोली के साथ—साथ प्रत्येक किला में 0.019है0 चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। उक्त प्रा.पत्र का जबाब रेस्पों. सं. 3 ने पेश कर उक्त प्रा.पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 19.01.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया। उक्त प्रा.पत्र के साथ एक अन्य प्रा.पत्र सं. 8/2015 नारायण बनाम गुरदेवसिंह भी खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार यदि रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तो इस सम्बन्ध में प्रा.पत्र पेश करने के लिये स्वतंत्र हैं। अपीलांट ने प्रकरण सं. 19/2016 में पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधी. न्यायालय में रास्ता स्वीकृत हेतु प्रा.पत्र पेश किया था। उक्त प्रा.पत्र में नारायण द्वारा इकबाली जबाब प्रा.पत्र पेश किया। अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रास्ता स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधी. न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पों. सं. 3 ने अलग–अलग रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रा.पत्र पेश किये थे। अधी. न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रा.पत्र खारिज किया है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यदि प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृति हेतु प्रा.पत्र देने हेतु स्वतंत्र छोडा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उसी अनुरूप प्रा.पत्र पेश कर अनुतोष पा सकते हैं। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय के समक्ष रास्ता स्वीकृति हेतु दो प्रा.पत्र पेश होने पर प्रकरण सं. 19/2016 व 8/2015 दर्ज होकर दोनों ही प्रा.पत्र खारिज कर दिये एवं अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार यदि रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में वह अपना प्रा.पत्र न्यायालय में पेश कर सकते हैं जिसके लिये वह स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलांट रास्ते की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश कर अनुतोष पाने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर